कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला भिण्ड (म. प्र.)

दिनांक 01.03.2011 को टेण्डर के प्रथम चरण में निष्पादन से शेष रही देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का टेण्डर द्वारा निष्पादन की विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि भिण्ड जिले में वर्ष 2011 12 अर्थात 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिये दिनांक 01.03.2011 को प्रथम चरण में टेण्डर द्वारा निष्पादन से शेष रही 05 समूहों में सम्मिलित 04 देशी व 03 विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का दिनांक 18.03.2011 दिन शुक्रवार को दोपहर 14:00 बजे से द्वितीय चरण में टेण्डर द्वारा जिले के लिए गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष भिण्ड में किया जावेगा। दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही यदि घोषित कार्यक्रम अनुसार पूर्ण नहीं होती है, तो शेष दुकानों का निष्पादन दिनांक 28.03.2011 दिन सोमवार को तृतीय चरण में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

// टेण्डर द्वारा निष्पादन का कार्यक्रम //

1	नवीनीकरण एवं टेण्डर के प्रथम चरण में निष्पादन से शेष रही दुकानों के टेंडर प्रपत्र विक्रय की तिथि व समय	दिनांक 12.03.2011 से दिनांक 17.03.2011 की अवधि में प्रातः 10:30 बजे से सायं काल 17:30 बजे तक तथा दिनांक 18.03.2011 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ।
2	टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	आबकारी आयुक्त म.प्र. के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 12.03.11 से दि. 16.03.11 की अवधि में प्रातः 10:30 बजे से सांय 17:30 बजे तक । संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी के कार्यालय में दिनांक 12.03.11 से दिनांक 17.03.11 की अवधि में प्रातः 10:30 बजे से सांय 17:30 बजे तक। जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 12.03.2011 से दिनांक 17.03.11 की अवधि में प्रातः 10:30 बजे से सांय 17:30 बजे तक तथा दिनांक 18.03.11 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 13:30 बजे तक
3	टेण्डर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय	टेंडर द्वारा निष्पादन के स्थल पर दिनांक 18.03.2011 को दोपहर 14.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

वर्ष 2011–12 के लिये निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों में सम्मिलित मदिरा दुकानों, उनके स्थान, आरक्षित मूल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	नाम दुकान/ एकल समूह क्रमांक	नाम दुकान/स्थान	वर्ष 2011–12 के निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	टेण्डर शुल्क
1	2	3	4	5	6
1	भिण्ड/एफ.-02	(क) विदेशी मदिरा दुकान, फूप	6482892	518631	10000
		(ख) देशी मदिरा दुकान, बरही	3391798	271344	
		(ग) देशी म. दु. भोमपुरा (अटेर रोड)	1084340	86747	
		समूह का योग	**10959030**	**876722**	
2	भिण्ड/एफ –07	विदेशी मदिरा दुकान ऊमरी	4699200	375936	3000
		समूह का योग	**4699200**	**375936**	
3	भिण्ड/सी.–23	देशी मदिरा दुकान, अमायन	3286479	262918	3000
		समूह का योग	**3286479**	**262918**	
4	भिण्ड/एफ –06	विदेशी मदिरा दुकान अमायन	2899200	231936	3000
		समूह का योग	**2899200**	**231936**	
5	भिण्ड/सी –35	देशी मदिरा दुकान, सुरपुरा	1700806	136065	3000
		समूह का योग	**1700806**	**136065**	
		योग जिला	**23544715**	**1883577**	

जो व्यक्ति मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन में भाग लेना चाहें वे व्यक्ति नियत तिथि में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय भिण्ड में उपस्थित होकर नियमानुसार टेण्डर दे सकते है। दुकानों से संबंधित नियमों, तथा मादक द्रव्यों की खपत, आरक्षित मूल्य, न्यूनतम लायसेंस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस तथा ड्यूटी दर आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय भिण्ड से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

निगम प्रथम नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक दुकान के लिये रूपयें 5000/-, नगरपंचायत क्षेत्र में स्थित प्रत्येक दुकान के लिये 4000/- ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक दुकान के लिये रूपयें 3000/- मूल्य के समतुल्य राशि के नगद अथवा जिला आबकारी अधिकारी भिण्ड के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक/के माध्यम से भुगतान करने पर ही उपलब्ध हो सकेगें। मदिरा दुकानों के एकल समूहो के लिये आवेदन प्रपत्र एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप संगणित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जावेगें ।

टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने ऑफर के 1/12 भाग की समतुल्य राशि का 01.04.2011 की तारीख अंकित कर, किसी राष्ट्रीकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके वर्तमान में संधारित बचत/चालू खाते का पोस्टडेटेड चैक भी प्रतिभूति के रूप में, टेण्डर के भाग दो के साथ में जिला आबकारी अधिकारी, भिण्ड के नाम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– **प्रकाशित विज्ञप्ति की** जानकारी जिले की **बेबसाईट www.bhind.nic.in पर भी डाउन** लोड की जा **सकती है।**

कलेक्टर
जिला भिण्ड (म. प्र.)

क्रं./आब./ठेका/2011–12/ 285
भिण्ड, दिनांक 14-3-2011

प्रतिलिपि : –

1. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त आबकारी संभागीय उ. द., संभाग........................की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, जिला........................मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ तहसीलदार ....जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
7. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) भिण्ड की ओर जिले की वेबसाईट www.bhind.nic.in पर डाउन लोड हेतु सूचनार्थ ।
8. सहायक जिला आबकारी अधिकारी, भिण्ड/लहार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ।
9. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त/भाण्डागार .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ ।
10. सहा.सचालक जनसम्पर्क अधिकारी, भिण्ड की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला भिण्ड (म. प्र.)